

दिनांक 21.9.22
आज पत्रावली पेश हुई। वकील...
पक्ष उपस्थित। पी.ओ. साहब बाहर पधारे हैं।
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 14.11.22
को पेश हो।



रीडर


14.10.22

तलबकर्ता पत्रावली पेश हुई।
वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थिका
स्वयं उपस्थित। प्रार्थिका की ओर
से प्राप्त पत्र पेश हुआ है कि पक्षकारों
के मध्य राजीनामा हो चुका है। प्रार्थन
पत्र को अंगी नहीं चलाना चाहिए है।
प्रार्थन पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के विज्ञे
क्रिये जाने की इजाजत फलामे।

प्रार्थिका की ओर से श्री धर्मसिंह
राजपूत ने तस्दीक को। अतः प्रार्थन फा. 1.
प्रार्थिका के प्रार्थन पत्र के आधार
पर प्रार्थन पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
को विज्ञे क्रिये जाने के आदेश
दिये जाते हैं। पत्रावली फलामे हुआ है।
अप्रार्थी गण के विरुद्ध ^{T.I.} जरी, दिनांक 24.6.22
को निरस्त किया जाता है। पत्रावली मूल
बाद संलग्न रहे।

आदेश पुनः जमा।


उपसचिव अधिकारी
महवा जिला दौसा

नि. उ. उ. उ.

14/10/22